14
अध्याय

चिकित्सा शिक्षा नीति एवं चिकित्सा शिक्षा

iLrkouk

केन्द्र द्वारा चिकित्सा और दंत शिक्षा के मानकों की निगरानी करने; स्वास्थ्य पेशेवरों की शिक्षा के लिए संस्थानों की स्थापना तथा चिकित्सा प्रैक्टिशनरों के आचरण को विनियमित करने में सहायता देने के लिए नियामक निकायों की स्थापना की गई है।

14-1 Hkkjrh; fpfdRlk ifj"kn ¼,e-lh-vkbZ½

भारतीय चिकित्सा परिषद् (एम.सी.आई) की एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापना भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम (आई.एम.सी अधिनियम), 1933 के प्रावधानों के तहत की गई थी, जिसे बाद में भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम (आई.एम.सी), 1956 (1956 का 102) के द्वारा बदला गया था। परिषद् के मुख्य क्रियाकलाप निम्नलिखित हैं:–

i) देश में चिकित्सा शिक्षा के समान मानकों को बनाए रखना;

ii) मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं निर्धारित करना;

iii) नए मेडिकल कॉलेजों/नए पाठ्यक्रमों को आरंभ करने की सिफारिश करना;

iv) चिकित्सा अर्हता को मान्यता देना;

v) भारतीय चिकित्सा पंजी का अनुरक्षण; और

vi) चिकित्सकों हेतु नैतिक सरकार लागू करना।

आई.एम.सी. अधिनियम, 1956 एवं इसके तहत बनाए गए विनियमों के अनुसार, नए मेडिकल कॉलेज खोलने, दाखिला क्षमता बढ़ाने तथा अध्ययन के नए अथवा उच्चतर पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने के लिए केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है।

14-2 efMdy dkyst

वर्तमान में, देश में 422 मेडिकल कॉलेज हैं जिनमें से 200 सरकारी तथा 222 निजी क्षेत्रों में हैं, जिनकी वार्षिक दाखिला क्षमता लगभग 57,138 एम.बी.बी.एस छात्र एवं 25,850 स्नातकोत्तर छात्र प्रतिवर्ष है। ,Ekchch,l@ LukrdkRrj lhVksa dk C;kjk vuqYkXud&I ¼d½ vkj I ¼[k½ e lyXu gA शैक्षिक वर्ष 2015–16 के दौरान 18 नए मेडिकल कॉलेजों को अनुमति प्रदान की गई हैं। 2015–16 सत्र के लिए एमबीबीएस की 2790 तथा 504 स्नातकोत्तर सीटों की बढ़ोतरी हो गई। इस वर्ष के दौरान 14 हजार एमबीबीएस सीटें का नवीकरण किया गया था।

14-3 Hkkjrh; nr ifj"kn ¼Mh-lh-vkbZ-½

भारतीय दंत चिकित्सा परिषद् (डी.सी.आई.) की स्थापना एक स्वायत्तशासी निकाय के रूप में दंत चिकित्सक अधिनियम 1948 (1948 का 16) के प्रावधानों के तहत देश में दंत शिक्षा एवं दंत–नीतिशास्त्र के मानकों को विनियमित करने, दाखिला क्षमता में बढ़ोत्तरी तथा अध्ययन के नए अथवा उच्चतर पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने के उद्देश्य से की गई थी। इस उद्देश्य हेतु परिषद् द्वारा पाठ्यक्रमों की उपयुक्तता एवं दंत–चिकित्सा के अध्ययन हेतु उपलब्ध सुविधाओं का पता लगाने के लिए आवधिक निरीक्षण किया जाता है।

14-4 nUr fpfdRlk dkWyst

वर्तमान में, देश में 308 दंत चिकित्सा कॉलेज हैं, जिनमें से 44 सरकारी क्षेत्र में और 264 निजी क्षेत्र में हैं जिनकी वार्षिक दाखिला क्षमता 26,530 बी.डी.एस तथा 5,866 स्नातकोत्तर छात्र प्रतिवर्ष है। शैक्षिक वर्ष 2015–16 के दौरान 3 नए दंत चिकित्सा कॉलेजों को अनुमति प्रदान की गई थी। 2015–16 सत्र के लिए बी.डी.एस की 290 और एमडीएस की 333 सीटों की बढ़ोत्तरी की गई थी।

14-5 fpfdRlk f'k{kk lEcU/kh ;kstuk,a

देश में चिकित्सा संस्थानों को उन्नत करने एवं और सशक्त करने के विचार से मंत्रालय निम्नलिखित योजनाएं संचालित करता है:–

i Lukrdksrj lhVksa esa c<+ksÙkjh gsrq jkT; ljdkj ds esfMdy dkWystksa dks lefFkZr djus ,oa mUUkr djus gsrq ;kstuk,% इस योजना को 11 पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था। सरकारी मेडिकल कॉलेजों को संरचनात्मक विकास हेतु निधियां उपलब्ध करायी जाती हैं। संषोधन के पश्चात केन्द्र तथा राज्य सरकार के बीच 60:40 के अनुपात में निधि की भागीदारी होती है। केंद्र सरकार के हिस्से की 726.94 करोड़ रुपये की धनराशि पहले ही 20 राज्यों में 72 राज्य सरकारी मेडिकल कॉलेजों को पहले ही जारी की जा चुकी है।

ii orZeku ftyk@jsQjy vLirkyksa ds lkFk lEc) u, esfMdy dkWystksa dh LFkkiuk gsrq ;kstuk% योजना के तहत, सरकारी क्षेत्र में स्नातकपूर्व स्तर पर 5800 सीटों की वार्षिक भर्ती क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में 100 एमबीबीएस सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ देश के अल्पसेवित क्षेत्रों में 58 मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य वर्तमान जिला/रेफरल अस्पतालों के नए मेडिकल कॉलेजों को लागत प्रभावी तरीके संबद्ध करते हुए अतिरिक्त स्नातक–पूर्व सीटों में बढ़ोत्तरी करने के लिए जिला अस्पतालों के वर्तमान ढांचे का प्रयोग करना है। उत्तर–पूर्व/विशेष श्रेणी वाले राज्यों हेतु 90:10 के अनुपात में केंद्र तथा राज्यों के बीच निधि की भागीदारी होती है और अन्य राज्यों के लिए 60:40 के अनुपात में होती है। इस योजना के अंतर्गत 38 प्रस्ताव अनुमोदित किए जा चुके हैं। अब तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों 487 करोड़ रूपए की निधि जारी की गई है।

iii ,e-ch-ch-,l- lhVksa dh Hkkjh {kerk esa c<+ksÙkjh gsrq jkT;ksa ds ljdkjh esfMdy dkWystksa dh l[;k c<+kuk ,oa mUUkr djuk& योजना के तहत, देश भर में सरकारी मेडिकल कालेजों में अतिरिक्त 10,000 एम.बी.बी.एस सीटों के सृजन का प्रस्ताव किया गया है। अंतराल विश्लेषण के बाद केंद्र सरकार द्वारा उपकरण और संरचना के लिए निधि प्रदान की जायेगी। प्रत्येक एम.बी.बी.एस. सीट हेतु ऊपरी उच्चतम लागत को 1.20 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। उत्तर–पूर्व/विशेष श्रेणी वाले राज्यों हेतु 90:10 के अनुपात में केंद्र तथा राज्यों के बीच निधि की भागीदारी होती है और अन्य राज्यों के लिए 60:40 के अनुपात में होती है। 23 मेडिकल कॉलेजों के सम्बन्ध में प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है और 50 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई है।

14-6 Hkkjrh; HkS"kt ifj"kn ¼ih-lh-vkb½

भारतीय भेषज परिषद (पीसीआई) भेषज अधिनियम 1948 की धारा 3 के तहत औषधियों के व्यवसाय एवं व्यवहार को विनियमित करने के लिए गठित एक निकाय है। परिषद् का उद्देश्य भेषज के रूप में अर्हता हेतु शिक्षा के न्यूनतम मानकों को निर्धारित करना, शैक्षिक मानकों का समान कार्यान्वयन, अध्ययन के पाठ्यक्रम का अनुमोदन वापस लेना, भारत से बाहर प्रदान की गई अर्हताओं का अनुमोदन और भेषज विज्ञानियों के केंद्रीय रजिस्टर का अनुरक्षण करना है।

परिषद् द्वारा डिप्लोमा, डिग्री एवं डी.फार्मा संस्थानों के 801 निरीक्षणों की व्यवस्था की गई तथा 228 डिप्लोमा एवं डिग्री संस्थानों के अनुमोदन को विस्तार प्रदान किया गया है। 41 नए डिप्लोमा एवं डिग्री संस्थानों को अनुमोदन प्रदान किया

गया है, 04 नए डी.फार्मा संस्थानों को पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया तथा 08 नए डी. फार्मा (पोस्ट बैकेलायूरेट) संस्थानों को पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए अनुमोदन/नवीकरण का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

वर्तमान में, देश में भारतीय भेषज परिषद फार्मेसी में डिप्लोमा हेतु 44,065 दाखिलों के साथ 735 संस्थानों तथा फार्मेसी में डिग्री हेतु 70,067 दाखिलों सहित 1034 संस्थानों को अनुमोदित किया गया है।

क्रमिक शिक्षा कार्यक्रम (सी.ई.पी.) भेषज विज्ञानियों के ज्ञान कोष के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय भेषज परिषद द्वारा भेषज विज्ञानियों हेतु क्रमिक शिक्षा कार्यक्रम संचालित करने के लिए राज्य भेषज परिषद को अधिकतम 12 पाठ्यक्रमों हेतु प्रति पाठ्यक्रम रु.25,000/– की वित्तीय सहायता अपने संसाधनों में से दी जा रही है।

14-7 lEc) LokLF; foKku dk fodkl

¼i½ lEc) LokLF; foKku f'k{kk dk ekudhdj.k%

- मंत्रालय द्वारा 11 वर्गों में अध्ययन पाठ्यक्रमों के मानकीकरण का कार्य प्रारम्भ किया गया है जोकि चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी, डायलेसिस प्रौद्योगिकी, विकिरण विज्ञान, विकिरण चिकित्सा, ऑपरेशन कक्ष प्रौद्योगिकी, भौतिक चिकित्सा, अस्थिविज्ञान एवं कृत्रिमांग विज्ञान, नेत्रविज्ञान, चिकित्सा अभिलेख प्रौद्योगिकी, वाक् एवं श्रवण भाषा विकृति विज्ञान, स्वच्छता तथा चिकित्सा सहायक हैं।
- कोर्स पाठ्यक्रम की पाठ्यचर्या पुनः अभिकल्पित करने हेतु एवं मानकीकरण हेतु कार्यबल/सलाहकार समूह का गठन किया गया था।
- 07 पाठ्यक्रमों अर्थात् डायलेसिस प्रौद्योगिकी, ऑपरेशन कक्ष प्रौद्योगिकी, चिकित्सा विकिरण तथा इमेजिंग प्रौद्योगिकी की पाठ्यचर्या के मानकीकरण से संबंधित कार्य को अंतिम रूप दिया गया है।

¼ii½ सरकार ने एक नये कानून के माध्यम से 'केंद्रीय सम्बद्ध और स्वास्थ्य परिचर्या पेशेवर परिषद' की स्थापना की प्रक्रिया भी प्रारम्भ की है। केंद्रीय परिषद में निम्नलिखित कार्यालयों का प्रस्ताव किया है:

- संस्थानों के लिए न्यूनतम मानकों का विकास;
- मानकीकृत पाठ्यक्रमों का विकास;
- चालू रजिस्टरों का अनुरक्षण और सदस्यों हेतु अभ्यास कोड का निर्धारण; और
- केंद्र और राज्य सरकारों को नीतिगत सामग्री उपलब्ध करना

¼iii½ संबद्ध स्वास्थ्य पेशवरों की उपलब्धता में वृद्धि के लिए ''राज्यों में पराचिकित्सा विज्ञान संस्थानों की स्थापना'' नामक एक केंद्रीय प्रायोजित योजना को भी अनुमोदन प्रदान किया गया है।

¼iv½ dk'ky if'k{k.k

सम्मिलित और व्यापक संयुक्त कार्रवाई के लिए एक ढांचे की स्थापना हेतु 11 जुलाई, 2015 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। युवाओं को कौशलयुक्त करने के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने, जिसके उनके रोजगार प्राप्त करने की संभावना बढ़े, हेतु इस समझौता ज्ञापन में, स्वास्थ्य पेशेवरों की गुणवत्ता के उन्नयन की भी बात की गई है।

इस समझौता ज्ञापन के कुछ महत्वपूर्ण संभावित परिणाम निम्नानुसार हैं:–

- स्वास्थ्य क्षेत्र की मौजूदा क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि
- विभिन्न अल्पवधि कार्यों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु सरकारी और निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य परिचर्या संस्थानों के मौजूदा ढांचे का लाभ उठाते हुए सार्वजनिक संसाधनों में महत्वपूर्ण बचत करना।
- दोनों विभागों के वित्तीय संसाधनों की पूलिंग करना और अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय साझेदारी की अनुमति देना;
- कार्यों के चयन हेतु और स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रशिक्षुओं के आमेलन हेतु स्वास्थ्य क्षेत्र कौशल परिषद द्वारा

प्रमाणन का एक ढांचा तैयार करना;

- पहले सीखे गए कौशल को मान्यता प्रदान करने हेतु एक ढांचा तैयार करना; और
- कौशल विकास के विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षुओं की निर्बाध लंबवत् और क्षैतिज गतिशीलता की अनुमति प्रदान करना।

दो मंत्रालयों के बीच समझौते ज्ञापन को लागू करने के लिए, निम्नलिखित ढांचे– सलाहकार समिति, संचालन समिति और एक परियोजना प्रबंधन इकाई की स्थापना की गई है:–

- दैनिक आधार पर गतिविधियों को समन्वित तथा लागू करने के लिए 5 सदस्यीय परियोजना प्रबंधन इकाई का गठन किया गया है;
- स्वास्थ्य एवं कौशल मंत्रियों की सह–अध्यक्षता में सलाहकार समिति का गठन किया गया है;
- इसी प्रकार सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय व सचिव, कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय की सह–अध्यक्षता में संचालन समिति का गठन किया गया है।

इस प्रकार निर्मित कार्य योजना की कुछ महत्वपूर्ण बातें निम्नानुसार है:–

- कौशल कार्यक्रम के लिए एचएसएससी द्वारा प्रमाणन की मौजूदा प्रक्रिया जारी रहेगी;
- प्रशिक्षित जनशक्ति का पंजीकरण एचएसएससी द्वारा भी किया जाएगा क्योंकि प्रशिक्षित कार्यबल हेतु ज्यादातर मांग उद्योगों से आती है;
- एचएसएससी द्वारा विकसित 27 रोजगार भूमिकाओं में से, बारह पाठ्यक्रमों के लिए एचएसएससी से प्रशिक्षण आरंभ करने को कहा गया है, जिसके पास अभ्यास/निर्धारण से संबंधित कोई मामला नहीं है। शेष पंद्रह के लिए एचएसएससी से आगे विधीक्षा हेतु, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ पाठ्यक्रम के अंश को साझा करने को कहा गया है।
- पहले सीखे गए कौशल की मान्यता के लिए, एचएसएससी से आगे पुष्टि करने हेतु ब्रिज कोर्स कंटेंट साझा करने के लिए कहा गया है;

14.8 भारतीय नर्सिंग परिषद (आईएनसी)

भारतीय नर्सिंग परिषद, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्तशासी निकाय है। भारतीय नर्सिंग परिषद् अधिनियम, 1947 द्वारा अधिनियमित, इस परिषद को पूरे में देश नर्सिंग शिक्षा के समान मानक एवं विनियमन भारतीय रखने हेतु सांविधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं।

इसका प्राथमिक उत्तरदायित्व संगत विधायी फ्रेमवर्क के कार्यक्षेत्र के भीतर शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा व्यवहार हेतु मानदंड एवं मानक स्थापित करना है।

14.8.1 निरीक्षण

कार्यक्रमों के कैलेंडर के अनुसार प्रस्ताव की प्राप्ति पर भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा निर्धारित किसी नर्सिंग कार्यक्रम को शुरू करने के लिए प्रथम निरीक्षण किया जाता है। गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों को मॉनीटर करने के लिए आवधिक निरीक्षण किए जाते हैं। किसी भी नर्सिंग कार्यक्रम को प्रारम्भ करने के लिए भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा प्रथम निरीक्षण किया जाता है। संस्थानों के आवेदन के अनुसार तथा सीटों में बढ़ोतरी हेतु भी पुनर्निरीक्षण किए जाते हैं। विधिमान्यता/नवीकरण जारी के संबंध में भारतीय नर्सिंग परिषद के मानकों का पालन सुनिश्चित करने हेतु मॉनीटर करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यदि संस्थानों द्वारा 70 प्रतिशत तक मानदंड पूरे कर दिए जाते हैं तो विधिमान्यता/नवीकरण की अनुमति दी जाती हैं। यदि संस्थानों द्वारा मानदंड पूरे नहीं किए जाते हैं, तो संस्थानों को कमी के बारे में सूचित किया जाता है और उन्हें कमियों को तीन माह के भीतर दूर करने हेतु कहा जाता है। जिन संस्थानों को अनुमति प्रदान की जाती हैं उनके नाम वेबसाइट पर मान्यता प्राप्त संस्थानों के अंतर्गत प्रदर्शित किए जाते हैं।

14.8.2 आय

नर्सिंग शिक्षा संस्थानों से दिनांक 01.04.2014 से 24.12. 2014 तक निरीक्षण/संबद्धता शुल्क एवं प्रकाशन हेतु रु.9,36,74,625/– की राशि प्राप्त की गई है। परिषद ने भारतीय स्टेट बैंक चालान के माध्यम से वार्षिक शुल्क एकत्रित करना प्रारंभ कर दिया है।

14-8-3 Hkkjrh; uÉlx ifj"kn }kjk ekU;rk ikIr lLFkku

पिछले 5 वर्ष में नर्सिंग क्षेत्र की क्षमता का तेजी से विस्तार हो रहा है। 2009–10 के लगभग 5000 नर्सिंग संस्थानों से बढ़कर अब हम 8000 नर्सिंग संस्थानों तक पहुंच गए हैं। इनमें ज्यादातर निजी क्षेत्र में हैं। इन संस्थानों की कुल क्षमता 2009–10 के 1.88 लाख सीटों से बढ़कर वर्ष 2014–15 में 2.94 लाख सीटें हो गई है। सीटों का ब्यौरा vuqyXud&II में दिया गया है।

14-8-4 iathÑr ulks,oa ijk lfr lgk;dksa ¼feMokbQ½ dh l[;k

विभिन्न राज्य नर्सिंग परिषदों के पास दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 तक 17,91,285 नर्सें, 7,89,740 एएनएम तथा 56,096 स्वास्थ्य निरीक्षक पंजीकृत किए गए हैं।

14-8-5 uÉlx esa ih,pMh grq jk"Vªh; lg&la?k

भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के सहयोग से नर्सिंग के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए नर्सिंग में पीएचडी हेतु राष्ट्रीय सह–संघ का गठन कर दिया गया है। राष्ट्रीय सह संघ के अंतर्गत नर्सिंग में पीएचडी हेतु कुल 251 छात्र पंजीकृत किए जा चुके हैं। वर्ष 2014–15 के दौरान, 21 छात्रों को राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की जा चुकी है।

14-8-6 ulksa dks ,pvkbZoh ,M~l vkSj {k;jksx ls lacf/kr izf'k{k.k%

vizSy 2014 ls flracj] 2015 rd dh miyfC/k;ka			
Øa- la-	ladsrd	izf'k{k.k dk;ZØeksa dh la[;k	izf'kf{kr ulksa dh la[;k
1.	एचआईवी/एड्स –टीओएन' माड्यूल में प्रशिक्षित सेवारत नर्सों/जीएनएम की संख्या	254	7611
2.	एचआईवी/एड्स और एसटीआई के माड्यूल में प्रशिक्षित सेवारत नर्सों/एएनएम की संख्या	268	8043
3.	क्षयरोग टीओएन के माड्यूल में प्रशिक्षित सेवारत नर्सों/जीएनएम की संख्या	763	22880
4.	क्षयरोग टीओएन के माड्यूल में प्रशिक्षित सेवारत नर्सों/एएनएम की संख्या	415	12460
5.	प्रशिक्षण के लिए पेडागॉजिकल पद्धतियों से लैस एसओएन/सीओडब्ल्यू से नर्सिंग संकाय सदस्यों की संख्या– एचआईवी/एड्स पर टीओटी'	80	2402
6.	प्रशिक्षण के लिए पेडागॉजिकल पद्धतियों से लैस एएनएम विद्यालयों से एएनएम संकाय सदस्यों की संख्या– एचआईवी/एड्स पर टीओटी	45	1351
7.	प्रशिक्षण के लिए पेडागॉजिकल पद्धतियों से लैस एसओएन/सीओडब्ल्यू से नर्सिंग संकाय सदस्यों की संख्या– क्षयरोग पर टीओटी	130	3896
8.	प्रशिक्षण के लिए पेडागॉजिकल पद्धतियों से लैस एएनएम विद्यालयों से एएनएम संकाय सदस्यों की संख्या– क्षयरोग पर टीओटी	49	1463

**टीओएन= नर्सों का प्रशिक्षण*

टीओटी= प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण

14-8-7 ulkZ dk iathdj.k vkSj VªSfdax iz.kkyh ¼,uvkjVh,l½ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देश के अनुसार, एनआईसी की मदद से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है। इस पहल के तहत प्रत्येक राज्य नर्सिंग परिषद को उपयुक्त/अपेक्षित हार्डवेयर प्रदान करने की योजना है। 2016 के दौरान इस परियोजना के पूरा होने की संभावना है।

14-8-8 egRoiw.kZ ufl±x ifjp;kZ ds fy, ulZ izSfDV'kuj½ महत्वपूर्ण नर्सिंग परिचर्या के लिए नर्स प्रैक्टिशनर हेतु पाठ्यक्रम विकसित किया गया है। यह दो वर्षीय आवासीय कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम की विशेषता यह है कि यह एक नैदानिक आवासीय कार्यक्रम है जिसमें सशक्त नैदानिक संघटक पर बल दिया जाता है इसमें, कौशल प्रयोगशाला सहित 20 प्रतिशत सिद्धांत संबंधी अनुदेश होते हैं और 80 प्रतिशत नैदानिक अनुभव शामिल होता है। क्षमता आधारित प्रशिक्षण इसकी प्रमुख पद्धति हैं और नर्सिंग प्रैक्टिशनर शिक्षा राष्ट्रीय प्रैक्टिशनर संकाय संगठन (एनओएनपीएफ) क्षमता (2012) के साथ–साथ रायल कॉलेज ऑफ नर्सिंग (आरसीएन) क्षमता (2010) पर आधारित है।

14-9 ufl±x lsokvksa dk fodkl

ufl±x f'k{kk@lsok dk lq<+hdj.k½ सरकार ने निम्नलिखित केंद्रीय प्रायोजित/केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के द्वारा नर्सिंग शिक्षा एवं सेवाओं के सशक्तीकरण एवं उन्नयन हेतु उपाय किए हैं:

(i) एएनएम/जीएनएम की स्थापना।

(ii) नर्सिंग सेवाओं का विकास

प्रथम योजना के अंतर्गत, देष के 23 उच्च फोकस राज्यों के कई ऐसे जिलों में 128 एएनएम तथा 137 जीएनएम स्कूलों की स्वीकृति दी जा चुकी है जहां ऐसे स्कूल नहीं है और अब तक राज्यों को रु.749.48 करोड़ की कुल राशि जारी की जा चुकी है। इससे प्रति वर्ष प्रवेश क्षमता में 13500 अतिरिक्त सीटों की बढ़ोतरी होगी। दूसरे घटक के तहत अभिज्ञात डोमेन/विषयों में नर्सिंग कार्मिकों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है।

ufl±x dkfeZd gsrq jk"Vªh; ¶yksjsal ukbfVaxsy iqjLdkj½ भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा दिनांक 12.05.2015 को 35 नर्सों को देश में नर्सिंग व्यवसाय में उल्लेखनीय सेवाओं हेतु सम्मान के रूप में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए गए। प्रत्येक पुरस्कार में एक उत्कृष्टता प्रमाणपत्र एवं रु. 50,000/– का नकद पुरस्कार होता है।

jk"Vªh; ufl±x ,oa feMokbQjh iksVZy½ नर्सिंग एवं मिडवाइफरी पोर्टल राज्य नर्सिंग परिषदों एवं मिडवाइफरी कैडर हेतु एक ऑनलाईन संसाधन केंद्र है। पोर्टल का उद्देश्य सभी पणधारियों को उपयोगी सूचना प्रदान करते हुए नर्सिंग एवं मिडवाइफरी सेवाओं में सुधार करना है।

ufl±x ;kstuk fuxjkuh iz.kkyh½ एनआईसी और सीडीसी/एफएच 1360 के साथ परामर्श से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने योजनाओं की प्रभावी निगरानी और प्रक्रियाओं में तेजी लाने के लिए ''नर्सिंग योजना निगरानी सॉफ्टवेयर'' नामक एक सॉफ्टवेयर मॉड्यूल विकसित किया गया है। इससे योजना की वास्तविक/वित्तीय प्रगति की सही स्थिति पता करने में मदद मिलेगी तथा केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को बेहतर योजना और बजट तैयार करने में मदद मिलेगी।

14-10 jktdqekjh vr̀ dkSj ufl±x egkfo|ky;

राजकुमारी अमृतकौर नर्सिंग महाविद्यालय की स्थापना नर्सिंग शिक्षा में मॉडल कार्यक्रमों के विकास के लक्ष्य के साथ 67 वर्ष पहले की गई थी। कॉलेज चार नियमित कार्यक्रम अर्थात बीएससी (ऑनर्स) नर्सिंग, मास्टर ऑफ नर्सिंग, एम फिल तथा नर्सिंग में प्रचालित कर रहा है। कॉलेज अल्प–अवधि क्रमिक शिक्षा पाठ्यक्रमों का भी संचालन करता है।

izo's k ,oa Lukrd½ बीएससी (ऑनर्स) नर्सिंग तथा मास्टर ऑफ नर्सिंग तथा नर्सिंग में एम फिल में प्रवेश दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित चयन परीक्षा में मेरिट के आधार पर किया जाता है।

Nk=ofŸk ,oa foŸkh; lgk;rk½ 73 बीएससी (ऑनर्स) नर्सिंग छात्रों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/

अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा मेरिट छात्रवृत्ति प्रदान की गई।

ctV% वर्ष 2015–16 हेतु गैर–योजना में बजट प्रावधान रु. 8,00,00,000/– (रु. आठ करोड़ केवल) तथा योजना स्कीम में रु. 2,70,00,000/– (दो करोड़ सत्तर लाख रुपए मात्र) है।

xkeh.k {k=h; 'kf{kd dæ] Nkoyk% ग्रामीण शैक्षिक केंद्र की स्थापना वर्ष 1950 में छात्रों को उद्देश्य उन्मुख ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। इसमें सात गांव तथा लगभग 52,000 की जनसंख्या आती है तथा यह कॉलेज से 32 किमी दूर स्थित है। छात्रों तथा आरएचटीसी, नजफगढ़ के ग्रामीण एकक के स्टाफ के सहयोग सेएमसीएच सेवाओं, परिवार नियोजन, टीकाकरण, परिवार कल्याण सेवाएं, पोषण, किशोर बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमों पर बल दिया जाता है।

14-11 dæh; ek/;fed f'k{kk ckM] ubZ fnYyh }kjk lapkfyr 15 ifr'kr vf[ky Hkkjrh; ;ksX;rk lhV

2015 में प्रवेश हेतु अखिल भारतीय प्रि–मेडिकल/ प्रि–डेंटल परीक्षा (यूजी) 2015 एमबीबीएस तथा बीडीएस की 15% अखिल भारतीय सीटों तथा प्रतिभागी राज्यों की राज्य कोटा सीटों हेतु केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा दिनांक 25 जुलाई, 2015 को अखिल भारतीय प्रि–मेडिकल परीक्षा, 2015 का संचालन किया गया। इस परीक्षा में कुल 3,74,386 उम्मीदवारों ने भाग लिया जिसमें से 64,935 उम्मीदवारों को परीक्षा में योग्य घोषित किया गया। और कुल 18116 उम्मीदवारों को 15% अखिल भारतीय कोटा सीटों हेतु काउंसलिंग में भाग लेने के लिए योग्य घोषित किया गया। 162 सरकारी चिकित्सा कॉलेजों तथा 33 डेंटल कॉलेजों में क्रमशः 3178 एमबीबीएस सीट तथा 255 बीडीएस सीटों के संबंध में आवंटन किया गया।

शैक्षिक वर्ष 2015–16 हेतु सफल उम्मीदवारों को कॉलेज तथा कोर्स का आबंटन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा तीन राउंड के ऑन–लाइन काउंसलिंग का संचालन करके उनकी श्रेणी के अनुसार किया गया। एमबीबीएस/बीडीएस सीटों के 15% अखिल भारतीय कोटा हेतु संपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया दिनांक 15.09.2014 को सफलतापूर्वक पूर्ण हो गई।

14-12 ,uchb] ubZ fnYyh }kjk lapkfyr 50% vf[ky Hkkjrh; ihth lhV 2015 esa izo'k gsrq vf[ky Hkkjrh; Lukrdksÿkj izo'k fpfdRlk ijh{kk 2015

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत के निर्देशों के अनुपालन में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा अखिल भारतीय आधार पर अखिल भारतीय पीजी प्रवेश परीक्षा का संचालन करता है।

प्रवेश परीक्षा दिनांक 1 दिसंबर से 6 दिसंबर, और 10 दिसंबर से 11 दिसंबर, 2014 को देश के 33 बड़े शहरों में आयोजित की गई। एमडी/एमएस/डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु परीक्षा में कुल 74313 उम्मीदवार उपस्थित हुए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित वर्ष 2015 हेतु प्रोस्पैक्टस के अनुसार पूरे भारत के 147 मेडिकल कॉलेजों में योग्यता/प्रतीक्षा सूची उम्मीदवारों हेतु सीटों के आबंटन हेतु 15 जनवरी, 2015 को परिणाम घोषित किए गए। शैक्षिक वर्ष 2015–16 हेतु 50% अखिल भारतीय पीजी कोटा के तहत एमडीएमएस तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रम में 5663 पंजीकृत/मान्यता प्राप्त सीटें थी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा ऑन–लाइन काउंसलिंग के माध्यम से सफल उम्मीदवारों को सीटों का आबंटन किया गया। 50% अखिल भारतीय पीजी कोटा काउंसलिंग 2015 की संपूर्ण आबंटन प्रक्रिया दिनांक 12.05.2015 को सफलतापूर्वक पूर्ण हुई।

14-13 vf[ky Hkkjrh; vk;qoZKku lLFkku] ubZ fnYyh }kjk lapkfyr ,eMh,l ikB~;kØe esa 50% vf[ky Hkkjrh; dksVk&2015 esa izo'k gsrq vf[ky Hkkjrh; nar Lukrdksÿkj ijh{kk&2015

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान सस्थान, नई दिल्ली 50% अखिल भारतीय कोटा आधार के तहत एमडीएस पाठ्यक्रमों

अखिल भारतीय पीजी प्रवेश परीक्षा का संचालन करता है।

प्रवेश परीक्षा दिनांक 24.01.2015 को 50 केंद्रों में आयोजित की गई। एमडीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु परीक्षा में कुल 9363 उम्मीदवार उपस्थित हुए। पूरे भारत में 28 दंत कॉलेजों में योग्यता/प्रतीक्षा सूची उम्मीदवारों हेतु सीटों के आबंटन को सक्रिय करने हेतु 5 फरवरी, 2015 को परिणाम घोषित किए गए। शैक्षिक वर्ष 2015–16 हेतु 50% अखिल भारतीय पीजी कोटा के एमडीएस पाठ्यक्रमों में 218 पंजीकृत/मान्यता प्राप्त सीटें थीं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा ऑन–लाइन परामर्श के द्वारा सफल उम्मीदवारों को आबंटन किया गया। 50% अखिल भारतीय पीजी काउंसलिंग–2015 की पूर्ण आबंटन प्रक्रिया दिनांक 12.05.2015 को सफलतापूर्वक पूर्ण की गई।

14-14 dsUæh; iwy }kjk esfMdy@naUr lhVksa dk vkcaVu

,echch,l rFkk chMh,l lhVsa% मेडिकल कॉलेजों वाले विभिन्न राज्यों तथा कुछ अन्य आयुर्विज्ञान शिक्षा संस्थानों से स्वैच्छिक योगदान प्राप्त करके स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एमबीबीएस तथा बीडीएस का एक केंद्रीय पूल बनाया गया है। शैक्षिक वर्ष 2015–16 में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों तथा चिकित्सा संस्थानों द्वारा 223 एमबीबीएस तथा 38 बीडीएस सीटों का योगदान दिया गया। ये सीटें केंद्रीय पूल के लाभार्थियों अर्थात राज्य/संघ शासित राज्य, जिनके कि अपने चिकित्सा/दंत कॉलेज नहीं हैं, रक्षा मंत्रालय (रक्षा कार्मिकों के बच्चों हेतु (गृह मंत्रालय (अर्धसैनिक बल कार्मिक तथा आतंकवादी पीड़ित नागरिकों के बच्चों हेतु) मंत्रिमंडल सचिवालय, विदेश मंत्रालय (राजनयिक/द्विपक्षीय प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए तथा विदेशों में भारतीय मिशन में सेवारत भारतीय कर्मचारियों के बच्चे), मानव संसाधन विकास मंत्रालय (तिब्बती शरणार्थियों हेतु) तथा भारतीय बाल कल्याण परिषद (राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार विजेता बच्चों हेतु) आबंटित की गई।

fons'kh Nk=ksa gsrq LukrdksŸkj esfMdy lhVsa% एक कैलेंडर वर्ष में विदेशी छात्रों हेतु आरक्षित चिकित्सा विज्ञान संस्थान, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी में 5 पी.जी मेडिकल सीटें हैं। इन सीटों पर विदेश मंत्रालय के परामर्श पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विदेशी छात्रों को नामित किया जाता है। वर्ष 2015 के दौरान ये सीटें नेपाल (2 सीटें) मालदीव (1 सीट) और मॉरिशस (2 सीटें) को आवंटित की गई थी।

14-15 jk"Vªh; ijh{kk cksMZ ¼,uchbZ½

राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी की एक शाखा के रूप में, वर्ष 1975 में अस्तित्व में आया था और वर्ष 1976 से राष्ट्रीय स्तर पर स्नातकोत्तर चिकित्सा परीक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा में शिक्षण की पद्धति का अखिल भारतीय आधार पर आधुनिक चिकित्सा के क्षेत्र में उच्च मानक स्नातकोत्तर परीक्षाओं के संचालन के लिए पात्रता की बुनियादी प्रशिक्षण आवश्यकताओं को तैयार करने और विकसित करने के उद्देश्य से बोर्ड को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत 01.03.1982 से प्रभावी स्वतंत्र स्वायत्त शासी संगठन के रूप में पंजीकृत किया गया।

राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा प्रदान की गई डिप्लोमा योग्यता को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर डिग्री तथा पोस्ट डॉक्टरेल स्तर की योग्यता के बराबर कर दिया गया है। बोर्ड वर्ष में दो बार प्राथमिक तथा अंतिम परीक्षाएं आयोजित करता है। वर्ष 2014–15 के दौरान, सीईटी परीक्षा में 53,938 अभ्यर्थियों ने भाग लिया जिनमें से 40,448 ने काउंसिलिंग में भाग लिया। भारत के 12 केंद्रों में 72 विशिष्टताओं में डीएनबी अंतिम परीक्षाएं आयोजित की गईं जिसमें कुल 3983 अभ्यर्थियों में से 2472 ने डीएनबी अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण की। बोर्ड ने 17 उप–विषयों में फैलोशिप कार्यक्रम का भी आयोजन किया है। समीक्षा वर्ष के दौरान, 917 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया और 776 अभ्यर्थियों ने फैलोशिप प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की और 112 अभ्यर्थियों ने फैलोशिप अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण की।

बोर्ड की प्रत्यायन समिति बोर्ड परीक्षाओं की अर्हता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों के प्रशिक्षण के उद्देश्य हेतु

संस्थानों/अस्पतालों को मान्यता देता है। समीक्षा वर्ष की रिपोर्ट के दौरान, विभिन्न विषयों में 243 छात्रों को एक वर्ष में भर्ती की क्षमता के लिए 86 अस्पतालों को समिति ने मान्यता देने की सिफारिश की। इसके अतिरिक्त, मान्यता प्राप्त संस्थानों/अस्पतालों के 425 विभागों की 903 सीटों का नवीकरण किया गया।

एनबीई को भी एमडी/एमएस/स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अखिल भारतीय स्नातकोत्तर मेडिकल प्रवेश परीक्षा (एआईपीजीएमईई) के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई। वर्ष के दौरान एनबीई ने देश भर के 33 शहरों में कम्प्यूटर पर आधारित परीक्षा का आयोजन किया। एआईपीजीएमईई ऑनलाइन परीक्षा में कुल 74313 उम्मीदवार परीक्षा में सम्मिलित हुए, जिसमें से 49018 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए।

भारत सरकार ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड को, विदेश में चिकित्सा प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए जांच परीक्षा विनियम, 2002 के तहत जांच परीक्षा आयोजित करने का कार्य सौंपा है। वर्ष 2014–15 के दौरान, 12475 अभ्यर्थियों ने एफएमजी परीक्षा में भाग लिया और उनमें से 1634 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए।

14-16 jk"Vªh; vk;qfoZKku ifj"kn ¼Hkkjr½

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परिषद, नई दिल्ली को चिकित्सा विज्ञान में योग्यता के प्रोत्साहन तथा बढ़ावा देने के उद्देश्य से जैव–चिकित्सा वैज्ञानिकों की एक गैर–सरकारी संस्था के रूप में स्थापित किया गया। अकादमी की फैलोशिप ने विज्ञान, शिक्षा, सेवाओं इत्यादि में उत्कृष्ट उपलब्धियों की मान्यता में विशेष योग्यता का प्रतिष्ठित हॉलमार्क बन गया है। अकादमी द्वारा वर्ष 1981 से क्रमिक आयुर्विज्ञान शिक्षा (सीएमई) कार्यक्रमों को भी लागू किया गया है।

यह एक अनूठा संस्थान है जो चिकित्सा और सामाजिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपने संसाधन के रूप में प्रोत्साहन तथा अकादमिक उत्कृष्टता का प्रयोग करता है। इन वर्षों में अकादमी ने चिकित्सा तथा संबद्ध विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिकों की उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता दी तथा फैलोशिप एवं सदस्यता से सम्मानित किया। दिनांक 31.03.2015 से अकादमी ने 3 मानद फैलो, 866 चिकित्सा अकादमी फैलोशिप, 1717 फैलोशिप मास्टर ऑफ एसोसिएटिड मेडिकल साइंसिज तथा 4382 राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी सदस्यों का नामांकन किया।

देश में विभिन्न चिकित्सा संस्थानों/व्यावसायिक निकायों से प्राप्त सीएमई प्रस्तावों में से, अकादमी ने 22 वैज्ञानिक संगोष्ठी/कार्याशाला/सीएमई कार्यक्रमों का आयोजन किया और 2014–15 के दौरान रु.13,34 लाख रूपये की वित्तीय सहायता की मंजूरी दी।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, मंत्रालय ने राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली को योजना के तहत 60.00 लाख रु. तथा गैर–योजना के तहत 55.00 लाख रुपए का सहायता अनुदान प्रदान किया।

vuqyXud&A ¼d½

n’k e dqy ihth lhVk dk jkT;okj C;kjk

Ø-l-	jkT;@l?k	,eMh	,e,l	,elh,p	Mh,e	fMIykek	dqy
1	आंध्र प्रदेश	1438	789	113	102	471	2913
2	असम	218	118	10	7	63	416
3	बिहार	260	147	3	2	60	472
4	छत्तीसगढ़	41	23	0	0	0	64
5	चंड़ीगढ़	44	28	0	0	18	90
6	दिल्ली	598	321	81	56	147	1203
7	गोवा	56	25	2	0	20	103
8	गुजरात	903	418	51	29	298	1699
9	हरियाणा	195	92	6	0	49	342
10	हिमाचल प्रदेश	93	49	2	2	13	159
11	जम्मू व कश्मीर	158	124	10	12	69	373
12	झारखंड	82	43	1	0	61	187
13	कर्नाटक	1881	862	108	97	670	3618
14	केरल	605	275	81	93	224	1278
15	मध्य प्रदेश	384	233	8	9	122	756
16	महाराष्ट्र	1730	849	109	81	496	3265
17	मणिपुर	81	36	0	0	6	123
18	मेघालय	8	0	0	0	0	8
19	ओडिशा	359	166	13	16	4	558
20	पुदुच्चेरी	246	119	7	2	39	413
21	पंजाब	569	309	60	60	56	1054
22	राजस्थान	609	305	55	40	55	1064
23	सिक्किम	18	4	0	0	0	22
24	तमिलनाडु	1107	618	167	150	563	2605
25	त्रिपुरा	19	11	0	0	0	30
26	उत्तर प्रदेश	834	440	60	81	213	1628
27	उत्तराखंड	105	50	0	0	15	170
28	पश्चिम बंगाल	564	318	66	75	214	1237
	dqy	**13205**	**6772**	**1013**	**914**	**3946**	**25850**

vuyXud&A ¼[k½

o"k 2015&16 d fy, ;th lhVk vkj efMdy dkyt dk jkT;okj C;kjk ¼23-10-2015 rd½

Ø-l-	jkT;	ljdkjh		futh		dy	
		dkyt dh l[;k	lhV	dkyt dh l[;k	lhV	dkyt dh l[;k	lhV
1	आंध्र प्रदेश	17	2700	30	4450	47	7150
2	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1	100	0	0	1	100
3	असम	6	726	0	0	6	726
4	बिहार	9	950	4	400	13	1350
5	छत्तीसगढ़	1	100	0	0	1	100
6	चंड़ीगढ़	5	550	1	150	6	700
7	दिल्ली	5	800	2	200	7	1000
8	गोवा	1	150	0	0	1	150
9	गुजरात	11	1830	13	1400	24	3230
10	हरियाणा	4	500	4	400	8	900
11	हिमाचल प्रदेश	2	200	1	150	3	350
12	जम्मू व कश्मीर	3	400	1	100	4	500
13	झारखंड	3	350	0	0	3	350
14	कर्नाटक	15	1950	35	5405	50	7355
15	केरल	9	1250	21	2400	30	3650
16	मध्य प्रदेश	6	800	8	1200	14	2000
17	महाराष्ट्र	21	2950	27	3645	48	6595
18	मणिपुर	2	200	0	0	2	200
19	मेघालय	1	50	0	0	1	50
20	ओडिशा	3	550	5	600	8	1150
21	पुदुच्चेरी	1	150	7	1050	8	1200
22	पंजाब	3	450	7	845	10	1295
23	राजस्थान	8	1400	5	750	13	2150
24	सिक्किम	0	0	1	100	1	100
25	तमिलनाडु	22	2815	24	3300	46	6115
26	त्रिपुरा	2	200	0	0	2	200
27	उत्तर प्रदेश	15	1949	21	2750	36	4699
28	उत्तराखंड	2	200	2	300	4	500
29	पश्चिम बंगाल	14	2050	3	400	17	2450
30	एम्स	7	673	0	0	7	673
31	जिपमेर	1	150	0	0	1	150
	dy	**200**	**27143**	**222**	**29995**	**422**	**57138**

vuqyXud-II

fiNys 5 o"kZ ds nkSjku uflZx lLFkku o iio'k {kerk

	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15	
	संस्थान	सीटें	संस्थान	सीटें	संस्थान	सीटें	संस्थान	सीटें	संस्थान	सीटें
एएनएम	935	26909	1452	41705	1707	48594	1853	52479	1921	54859
जीएनएम	2351	95441	2665	108606	2803	114104	2865	115844	2958	118406
बी.एससी (एन)	1570	79633	1596	81258	1619	82465	1641	83192	1690	84942
एम.एससी (एन)	450	8273	481	9133	551	10445	567	10784	577	11109
पीबीबीएससी (एन)	500	16228	617	20378	721	23425	735	23690	752	24075
कुल	5806	226484	6811	261080	7401	279033	7661	285989	7898	293391